



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-02122020-223434
CG-DL-W-02122020-223434

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 44] नई दिल्ली, नवम्बर 22—नवम्बर 28, 2020, शनिवार/ अग्रहायण 1—अग्रहायण 7, 1942
No. 44] NEW DELHI, NOVEMBER 22 – NOVEMBER 28, 2020, SATURDAY/AGRAHAYANA 1—AGRAHAYANA 7, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2020

का.आ. 1026.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, सुश्री एस. एन. राजेश्वरी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ओरिएण्टल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आरंभ में तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, चार लाख रुपए प्रतिमाह (आवास और कार की सुविधा के बिना) के समेकित वेतन पैकेज पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में पूर्णकालिक निदेशक (वितरण) के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. आर-16011/01/2019-बीमा-I]

अंशुमन शर्मा, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 23rd November, 2020

S.O. 1026.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Central Government hereby appoints Ms S. N. Rajeswari, Chairman and Managing Director, Oriental Insurance Company Limited as Whole-Time Member (Distribution) in the Insurance Regulatory and Development Authority of India, on a consolidated pay package of four lakh rupees per month (without facility of house and car), initially for a period of three years, with effect from the date of assumption of charge of the post, or till attaining the age of sixty-two years, or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No. R-16011/01/2019-Ins.I]

ANSHUMAN SHARMA, Director
